अंग्रेज़ी शौचालयों के उपयोग करने का हुक्म

[हिन्दी – Hindi – هندي]

इफ़्ता की स्थायी समिति

अनुवाद : अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2012 - 1433

IslamHouse.com

حكم استعمال الحمامات الإفرنجية

« باللغة الهندية »

اللجنة الدائمة للإفتاء

ترجمة : عطاء الرحمن ضياء الله

2012 - 1433

IslamHouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) केवल अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत प्रदान करदे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

अंग्रेज़ी शौचालयों के उपयोग का हुक्म

प्रश्न : हम अंग्रेजी शौचालयों का प्रयोग करते हैं तो क्या यह जायज़ है ?

उत्तर : हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है और दया व शांति अवतरित हो उसके पैगंबर, उनकी संतान और उनके साथियों पर . . हम्द व सलात के बाद :

आप लोगों के लिए अंग्रेज़ी शौचालयों का प्रयोग करना जायज़ है, और आपके लिए ज़रूरी है कि गंदगी से बचें ताकि उनमें शौच करते हुए वह आपके शरीर या कपड़ों पर न लगने पाए, तथा आवश्यकता पूरी करने के बाद जो पत्थर या पानी से इस्तिंजा करना (मल की सफाई करना) धर्मसंगत है उसकी अदायगी करें, और सर्वश्रेष्ठ यह है कि दोनों चीज़ें एक साथ हों, और केवल पत्थर के द्वारा सफाई करने पर उस समय निर्भर किया जायेगा जब किसी पाक चीज़ के द्वारा सफाई की जाए चाहे वह कागज़ ही क्यों न हो, इस शर्त के साथ कि तीन या उससे अधिक बार पोंछा जाए और उससे पूरी तरह सफाई हो जाए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का

फरमान है : ''पेशाब से बचो क्योंकि क़ब्र का सामान्य अज़ाब उसी से है।''[1]

तथा इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तीन पत्थर से कम से इस्तिंजा करना से मना किया है।[2] यदि तीन बार पोंछने से सफाई न हो तो उसकी संख्या बढ़ा देगा यहाँ तक कि अच्छी तरह सफाई हो जाए, और बेहतर यह है कि ताक़ (विषम) संख्या का उपयोग करे क्योंकि नबी सल्लल्लाहु

[1] दारकुतनी 1/127, 128, उन्होंने पहले स्थान पर कहा है = = कि सुरक्षित बात यह है कि यह हदीस मुर्सल है, और दूसरे स्थान पर कहा है कि ठीक बात यह है कि यह मुर्सल है (मुद्रण लाहौर) तथा पृष्ठ 128 पर यह हदीस उल्लेख किया है कि ''क़ब्र का सामान्य अज़ाब पेशाब के कारण होगा, अतः पेशाब से बचो'' और कहा है कि : (इसमें कोई बात नहीं).

[2] मुस्लिम 1/154 (मुद्रण व वितरण मुख्यालय इफता एवं वैज्ञानिक अनुसंधान) अबू दाऊद 1/10, 31, दारकुतनी 1/74, और मुस्लिम के शब्द सलमान फारसी से वर्णित है कि उनसे कहा गया : तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तुम्हें तो हर चीज़ सिख दी है यहाँ तक कि पेशाब पैखाना का तरीक़ा भी ? तो उन्हों ने कहा : हाँ, क्यों नहीं, आप ने हमें इस बात से मना किया है कि हम मल या मूत्र के समय क़िब्ला (काबा) की ओर मुँह करें, या दाहिने हाथ से इस्तिंजा करें, या तीन से कम पत्थर से इस्तिंजा (मल मूत्र की सफाई) करें, या कि हम हड्डी या लीद से इस्तिंजा करें।

अलैहि व सल्लम का फरमान है कि ''जो व्यक्ति पत्थर से इस्तिंजा करे तो वह ताक़ संख्या का उपयोग करे।''[1]

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला (शक्ति का स्रोत) है, तथा अल्लाह तआला हमारे ईश्दूत मुहम्मद, उनकी संतान और उनके साथियों पर दया और शांति अवतरित करे।

इफता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

अब्दुल्लाह बिन क़ऊद (सदस्य)

अब्दुल्लाह बिन गुदैयान (सदस्य)

अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अफीफी (उपाध्यक्ष)

अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ (अध्यक्ष)

''फतावा स्थयी समिति 5/86–87''.

[1] मुसनद अहमद 2/236, 254, बुखारी 1/48 (मुद्रण इस्तांबोल) मुस्लिम 1/146 (वितरण इफता).